श्री उपसभापति : नहीं-नहीं। यह कुछ नहीं ...**(व्यवधान)**... Dr. Prabha Thakur, are you withdrawing the Resolution?

डा. प्रभा ठाकुर : जी, मैं अपना संकल्प विद्ड्रॉ करती हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Does she have the leave of the House to withdraw the Resolution?

The Resolution was, by leave, withdrawn.

Extension of benefits of reservation to scheduled tribes in NCT of Delhi and other States where they are not available

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Moolchand Meena to move a Resolution regarding need to give benefit of reservation in employment.

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान) : उपसभापति महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूँ:-

> "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत का संविधान तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा के लिए समर्पित सस्थानों सहित सार्वजनिक नियोजन और शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण का उपबंध करता है तथा विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अधिसूचित जनजाति को आरक्षण हेतु लाभ देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन उन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में इस संबंध में अधिसूचनाएं जारी की गई हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश, ये लाभ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वर्षों से रह रहे अन्य राज्यों के अनुसूचित जनजाति के लोगों को अनुच्छेद 342 के अधीन अधिसूचना के अभाव में नहीं मिल रहे हैं तथा ऐसी ही स्थिति अन्य राज्यों में भी आ रही है क्योंकि एक राज्य के अनुसूचित जनजाति के लोगों को दूसरे राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, अत: सामाजिक दृष्टि से शोषित और उपेक्षित अनुसूचित जनजाति को सार्वजनिक नियोजन और तकनीकी तथा चिकित्सा संस्थाओं सहित शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण के विधिसम्मत अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह विधायी और प्रशासनिक उपायों के द्वारा यह सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रह रहे अनुसूचित जनजाति के लोगों को रोजगार और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण के लाभ दिये जायें और एक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति को संपूर्ण देश के लिए अनुसूचित जनजाति समझा जाए।"

उपसभापति महोदय, मुझे यह विशेष संकल्प इसलिए लाने की आवश्यकता हुई कि अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग शताब्दियों से भेद-भाव के शिकार रहे हैं और आर्थिक तथा सामाजिक विकास के अवसरों से भी वंचित रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता प्राप्ति के समय लोक सेवाओं में इन समुदायों का लगभग कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। श्री पी.एस. बरवा ने 1992 में एक सर्वेक्षण किया था। उसके अनुसार 1935 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व केवल 1% था। जब कि देश की जनसंख्या में उनका हिस्सा 40 प्रतिशत के करीब

है। लोक सेवाओं में दलित वर्ग के नगण्य प्रतिनिधित्व को देखते हुए वर्ष 1932 में पूना-पैक्ट में इन समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए भरसक प्रयत्न किया गया था।

उपसभापति महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान का निर्माण करते समय यह महसूस किया गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लोक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए विशेष उपबंध किए जाने जरूरी हैं। तद्नुसार संविधान के अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(4)(क), अनुच्छेद 16(4)(ख) और अनुच्छेद 335 के अंतर्गत् विशेष उपबंध किए गए थे। अनुच्छेद 16(4) राज्य को यह अधिकार देता है कि इन पिछड़े हुए नागरिकों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों अथवा पदों में आरक्षण की व्यवस्था करे। अनुच्छेद 16(4)(क) और अनुच्छेद 16(4)(ख), संविधान का संशोधन करके उसमें अंतर्विष्ट किए गए थे ताकि पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सके। संविधान का अनुच्छेद 335 यह व्यवस्था करता है कि संघ किसी राज्य के कार्यकलापों से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। इस प्रकार संविधान में ये उपबंध अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को शासन और प्रशासन में उचित हिस्सा दिलाने का अवसर प्रदान करने के लिए किए गए थे। संविधान के उपबंधों को कार्यरूप देने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा, जिसे इस प्रयोजनार्थ नोडल विकास अधिसूचित किया गया है, समय-समय पर कार्यकारी आदेश जारी किए गए हैं। इस समय अखिल भारतीय स्तर पर खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने वाली सीधी भरती में शेड्युल्ड कास्ट्स के लिए 15 प्रतिशत और शेड्युल्ड ट्राइब्ज के लिए 7.5 प्रतिशत पद आरक्षित हैं, लेकिन आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिनिधित्व सभी स्तरों पर बहुत कम है। इसके लिए प्रयास किए जाने जरूरी हैं।

महोदय, आरक्षण नीति का एक खेदजनक पहलू यह है कि यद्यपि इसे सिद्धांत रूप से तो साधारणतया स्वीकार किया जाता है, लेकिन इस नीति के पीछे जो भावना है, उसकी प्रायः उपेक्षा की जाती है। विद्यमान स्कीम के अंतर्गत आरक्षण नीति को कड़ाई से लागू न किए जाने पर इसके उल्लंघन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के खिलाफ दांडिक कार्रवाई किए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए इसका कार्यान्वयन अप्रभावकारी बना हुआ है। इस पर पूरी ईमानदारी से शीघ्रतापूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है। आज आजादी के 55/56 साल के बाद और आरक्षण के 46 साल के बाद भी केन्द्रीय मंत्रालयों, केन्द्रीय विभागों में जो स्थिति है, उसे देखकर बड़ा दुख होता है कि इनमें शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का परसेंटेज बहुत कम है। उपसभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों की सेवाओं में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व, जो इस प्रकार है :-

'A' क्लास में कुल पद हैं 93,520, इनमें से 3,172 पदों पर शेडयूल्ड ट्राइब्स के अधिकारी हैं और परसैंटेज है 3.39, आधा भी नहीं है।

'B' क्लास में कुल पद हैं 1,04,963, इनमें से 3,512 पदों पर शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं और परसैंटेज है 3.35.

'C' क्लास में कुल पद हैं 23,96,426, इनमें से 1,45,448 पदों पर शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं और परसैंटेज है 6.

'D' क्लास में कुल पद हैं 9,49,353, इनमें से 66,487 पदों पर शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं और परसैंटेज है 6.39.

यह स्थिति केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों की है।

रेल मंत्रालय को हम जब लेते हैं तो रेल मंत्रालय की स्थिति इस प्रकार है :-

'A' क्लास आफिसर हैं कुल 7,885 और शेडयूल्ड ट्राइब्स का परसैंटेज है 5.94.

'B' क्लास में कुल पद हैं 6830 और शेडयूल्ड ट्राइब्स का परसैंटेज है 5.23.

'C' क्लास में कुल पद हैं 9,02,679 और शेडयूल्ड ट्राइब्स का परसैंटेज है 5.67.

'D' क्लास में कुल पद हैं 6,09,597 और शेडयूल्ड ट्राइब्स का परसैंटेज है6.08.

इस प्रकार से सब को जोड़ा जाए तो रेलवे के अंदर शेडयूल्ड ट्राइब्स का परसैंटेज है 5.65.

इसी तरीके से केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में 01.01.2000 तक अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व इस प्रकार था :-

'A' क्लास में कुल पद हैं 2,04,127, इनमें से 6,057 पदों पर अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और परसैंटेज है 2.97.

'B' क्लास में कुल पद हैं 1,75,159, इनमें से 7,317 पदों पर शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं और परसैंटेज है 4.18.

इसी प्रकार से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थानों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व है :-

'अधिकारी लैवल' - टोटल अधिकारी हैं 2,54,692, जिनमें शेडयूल्ड ट्राइब्स के अधिकारी हैं 10,749 और परसैंटेज है 4.22.

'लिपिक (LDC)' - टोटल लिपिक हैं 4,56,802, शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिपिक हैं 21,755 और परसैंटेज है 4.76.

इसी तरह से बीमा क्षेत्र की छः कम्पनियां हैं - भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम, नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, ओरिएंटल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड एवं यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड। इनमे स्थिति यह है कि 'ए' श्रेणी के अधिकारी कुल मिला कर 32,050 हैं जिनमें से शेडयूल्ड ट्राइब्स के 1169 अर्थात् 3.65 प्रतिशत। सेकेन्ड क्लास के अधिकारी 31,891 जिसमें शेडयूल्ड ट्राइब्स के 1165, अर्थात् 3.65 प्रतिशत। थर्ड क्लास के 1,22,705 कर्मचारियों में से अनुसूचित

जनजाति के 8101 कर्मचारी हैं, अर्थात् 6.60 प्रतिशत। फोर्थ क्लास के कुल 20,437 कर्मचारियों में से केवल 1712 कर्मचारी अनुसूचित जनजाति से हैं, अर्थात् 7.01 प्रतिशत।

इस प्रकार आज़ादी के 57 वर्षों के पश्चात् भी अनूसूचित जनजाति के लिए जो 7.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था थी, उसे अभी तक भी पर्याप्त तौर पर पूरा नहीं किया जा सका है, अत: आरक्षण नीति को शीघ्र ही विनियमित किए जाने की आवश्यकता है। आरक्षण नीति का कार्यान्वयन जब सुव्यवस्थित हो जाएगा और जब हम इस अधिनियम को संविधान की सातवीं अनुसूचि में शामिल कर लेंगे, तो आरक्षण के पूरा होने की एक प्रक्रिया आरम्भ हो जाएगी। मैं यह रेज़ोल्यूशन इसलिए लाया हूं कि केन्द्र सरकार अर्थात् यू.पी.ए. गवर्नमेंट की यह मन्शा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण को पूरा किया जाए, बैक लॉग को पूरा किया जाए। 1986 तक कांग्रेस की सरकार थी, तब तक तो इस प्रकार की कोई भी समस्या आरक्षण के संबंध में नहीं आई, किन्तु उसके बाद से कुछ तो कोर्ट के इस प्रकार के निर्णय आए, ऐसी व्याख्याएं उनके द्वारा की गईं, जिसके कारण उन निर्णयों के ऊपर होम डिपार्टमेंट की ओर से चार कार्यालय ज्ञापन जारी किए गए और जिसका असर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण पर पड़ा। उस समय की सरकार के ज्ञापन दिनांक 31.01.1997 के अनुसार कोर्ट का निर्णय आया और जो ज्ञापन जारी किया गया था, कोर्ट की ओर से उस पर निर्णय किया गया। दूसरा ज्ञापन दिनांक 22.07.1997 को आया, तीसरा दिनांक 13.08.1997 को आया एवं चौथा दिनांक 27.07.1997 को आया। इन ज्ञापनों के कारण अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण में जो बाधाएं आईं, उन्हें दूर करने के लिए संविधान में 94वां संशोधन किया गया, किन्तु संविधान में संशोधन हो जाने के पश्चात् भी इसे लागू करने वाले लोगों की नीतियां क्या हैं, उनकी मन्शा क्या है? दो ज्ञापनों पर उन्होंने संशोधन के पश्चात् रोक लगा दी किन्तु तीन ज्ञापनों पर अभी तक भी रोक नहीं लगाई गई। यह बहुत ही अफसोस की बात है। माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि एन.डी.ए. की सरकार किस प्रकार से जनजातियों के आरक्षण के पीछे हाथ धो कर पड़ी हुई थी कि इसे छिन्न-भिन्न किया जाए, इसके टुकड़े किए जाएं, ताकि ये एक न हो सकें। मैं आपके नॉलिज में लाना चाहता हूं कि एन0डी0ए0 की जो गवर्नमेंट थी उसने 22 जनवरी, 2004 को एक आदेश जारी किया था - Relaxation in physical standards of height and chest admissible to Tribals - clarification regarding. उसमें आर्डर यह था -

"To illustrate further Maratha or Gorkha/Dogra belonging to General/SC/ST categories can be a Tribal and will be entitled to relaxation in physical standards of height and chest. But a Meena belonging to Rajasthan will not be treated as a Tribal for the purpose of relaxation..."

मंत्री जी, सरकार की मंशा देखिए कि मराठा को रिलेक्सेशन है, गोरखा को है, डोगरा को है। मराठा मीणा से बहुत प्रभावशाली हैं, ऐसी गवर्नमेंट की मंशा थी। इसके कारण जिन लोगों का सी.आर.पी.एफ. में सलेक्शन हो गया था और ट्रेनिंग कर रहे थे तो उनको निकाल दिया गया। उनकी यह मंशा थी और ऐसी भावना थी एन.डी.ए. के लोगों की। दूसरा काम एन.डी.ए. के लोगों ने यह किया कि उस समय दिल्ली में बी.जे.पी. के मुख्य मंत्री थे। उनकी यह मंशा थी कि दिल्ली के अंदर शेडयूल्ड ट्राइब्स को जो रिजर्वेशन मिल रहा है वह बंद किया जाए। इस प्रकार की भावना से उन्होंने अधिकारियों से मिलकर एक आदेश जारी किया कि

दिल्ली के अंदर ट्राइब्स का रिजर्वेशन बन्द कर दिया जाए। वह 2001 में बंद कर दिया गया। उसके बाद ट्राइब्स के सारे एम.पीज़. और दूसरे एम.पीज. ने मिलकर श्रीमती सोनिया गांधी जी से और उस समय के गृह मंत्री से निवेदन किया। गृह मंत्री जी ने 2 अगस्त, 2000 में आदेश जारी किया कि दिल्ली के अंदर ट्राइब्स का रिजर्वेशन वापिस लागू किया जाए, उसी आधार पर। सोनिया जी के प्रभाव के कारण क्योंकि सोनिया जी के दिल के अंदर ट्राइब्स के लिए दुख-दर्द की भावना थी, वे समझती थी कि इस देश में ट्राइब्स बहुत पिछड़ा हुआ है, तो दिल्ली की मुख्य मंत्री से व्यक्तिगत तौर पर कह कर उस आदेश की पालना में 27.08.2003 को आदेश जारी करा दिया गया कि दिल्ली में रिजर्वेशन लागू रहेगा, जो पहले चला आ रहा था। उसके बाद जिन लोगों की गलत भावना थी, उन्होंने एक आदमी को कोर्ट में भेज दिया। कोर्ट ने यह फैसला दिया कि किसी भी ट्राइब्स को दिल्ली के अंदर रिजर्वेशन के लिए संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में अधिसूचना नहीं है इसलिए किसी को भी रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। उस आधार पर दिल्ली की गवर्नमेंट ने एक आदेश निकाल दिया कि दिल्ली के अंदर ट्राइब्स का रिजर्वेशन बन्द किया जाता है। लेकिन यह भूल जाते हैं कि अनुच्छेद 16 (4), अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 341 और 342 का प्रेसीडेंशियल असेंस क्या है ? सेंस यह है कि जो भी यूनियन टेरेटरी स्टेट्स हैं, जिनमें दिल्ली भी शामिल है, दिल्ली इस देश की कैपिटल है, इसलिए वह आदेश यहां भी लागू रहेगा, ट्राइबल्स को रिजर्वेशन मिलता रहेगा, जिस प्रकार से अन्य स्टेटों के अंदर मिल रहा है। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा कि ट्राइबल कहां का रहने वाला है? सारे देश के अंदर ट्राइबल्स को रिजर्वेशन मिलता रहेगा। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, "I am happy to appreciate the Government's and UPA's programmes that have included the issue of downtrodden communities' needs in the National Common Minimum Programme of May 2004, particularly that of the reservation policy, which says, 'All reservation quotas, including those related to promotions, will be fulfilled in a time-bound manner. To codify all reservations, a Reservation Act will be enacted'. But I am sorry to note that there is no visible action on the ground. What to talk of the Reservation Act, even a notification was required as per some interpretation of Delhi High Court to continue the reservation policy which was enforced earlier by one administrative order of 1955 for the Union Territory of Delhi, which is the national capital".

रिजर्वेशन के बारे में कामन मिनीमम प्रोग्राम में यह कहा था। उसके बाद स्थिति यह बनती है कि यूपीए गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी किया कि जो बैक लॉग एस0सी0 और एस0टी0 का है, उस बैक लॉग को पदोन्नति में 31 दिसम्बर तक पूरा कर लेंगे और जो सीधी भर्ती का बैक लॉग है, उसे 30 जून तक पूरा कर लेंगे। मंत्री महोदय मुझे दुख होता है कि किसी भी विभाग ने आपके इस आदेश पर कार्यवाही नहीं की है, बैक लॉग पूरा करने की कोशिश नहीं की है। यदि कोई यूपीए गवर्नमेंट के आदेश की पालना नहीं करता है, तो उसके खिलाफ आपको कार्यवाही करनी चाहिए। जिस आदेश से रिजर्वेशन बंद किया था, तो उसके बाद कोर्ट का एक निर्णय 10 अगस्त, 2004 में आया था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय पांडिचेरी के मामले में आया था। एक तमिलनाडु का स्टूडेंट शैडयूल्ड कास्ट का था और वह पांडिचेरी में टीचर अप्वाइंट हुआ। उसको सरकार के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद वह ट्रिब्यूनल

में गया। ट्रिब्युनल ने वहां सरकार के आदेश को माना। फिर वह सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एवं दो न्यायाधीशो की, यानी तीन जजों की बैंच ने 11 फरवरी 2005 को फैसला दिया। यह फैसला दिया गया कि शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स का अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 341(ए) एवं अनुच्छेद 342 (ए) का Presidential essence यह है कि शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्स के व्यक्ति को देश के किसी भी टैरिटरी में या स्टेट में रिजर्वेशन में भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह ऑर्डर होने के बाद उसको पांडिचेरी में नौकरी तो मिल गयी लेकिन दिल्ली के अंदर उस ऑर्डर को मानते हुए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को मानते हुए वापस ऑर्डर नहीं निकाला गया कि शेडयूल्ड ट्राइब्स का रिज़र्वेशन वापस लागू किया जाता है। यह बड़े अफसोस की बात है। महोदय, कैपीटल के अंदर, यदि दिल्ली की संख्या देखी जाए तो दिल्ली में सभी लोग माइग्रेट हुए, चाहे जनरल कास्ट के हों, चाहे बैकवर्ड क्लास के हों, चाहे शेडयूल्ड कास्ट के हों या शेडयूल्ड ट्राइब्स के हों। चूंकि कैपीटल है इसीलिए तो ट्राइब्स का रिजर्वेशन लागू रहना चाहिए। जब इतने दिनों से रिज़र्वेशन चल रहा था तो यह अब भी होना चाहिए। इसलिए यूपीए गवर्नमेंट से हम चाहते हैं, हमारी जो नेता हैं, श्रीमती सोनिया गांधी, उनकी भावना है कि ट्राइब्स को बैनीफिट मिले। उन्हीं के प्रयासों से पहले बंद हुआ रिज़र्वेशन वापस चालू हुआ था लेकिन मंत्री जी, इससे नुकसान कितना हुआ, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर 2000 में 945 टीचर्स ट्राइब्स के सलैक्ट किए गए थे। परीक्षा पास कर ली, सलैक्शन हो गया लेकिन उनको उन पदों पर नियुक्ति नहीं दी गयी। 2002 में 793 टीचर्स ट्राइब्स के सलैक्ट किए गए लेकिन उन्हें भी सलैक्ट होने के बाद नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। इस प्रकार से टीचर्स की श्रेणी में 1758 व्यक्तियों को परीक्षा पास करने के बाद, सलैक्शन होने के बाद भी नियुक्तियां नहीं मिली हैं और बहाना यह कर दिया गया कि कोर्ट का आदेश आ गया है। अन्य जो वैकेंसीज़ हैं, जो दूसरे डिपार्टमेंट्स में हैं, कुल मिलाकर ट्राइब्स को 4500 पोस्ट्स का नुकसान हुआ है। कही संविधान में व्यवस्था नहीं है लेकिन कुछ अधिकारियों ने अड़ंगे लगाए हैं जिसके कारण यह नुकसान उठाना पड़ा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ट्राइबल के रिजर्वेशन को कायम करने के लिए मैं अपनी ओर से आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं, उनको अगर आप लागू कर दें तो आने वाले दिनों में यह समस्या फिर से दिल्ली के अंदर नहीं आएगी। पहला तो मैं यह कहना चाहूंगा कि :

Public Notification be issued to restore the reservation in Delhi Union Territory as pre-2001 position.

Direct that all backlog of reservation posts of Delhi State will be filled within a time-limit of one year.

Remove all those officers from the Union Government and Delhi Administration whose wrong interpretation led to discontinuation of Tribal reservation in Delhi.

Direct that the whole country to apply national average of Tribal reservation in all services and economic activities in all parts, including metro towns.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.]

Introduce fair representation of Tribals in all Government organisations and higher positions, including Defence, Judiciary, posts in President House, Planning Commission, Lok Sabha and Rajya Sabha or any other organisation which fall in any form of exemption. महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि गृह मंत्रालय से ऐसी डायरेक्शन्स स्टेट गवर्नमेंट्स को दी जाएं कि 2001 में, दिल्ली में, ट्राइब्ज़ के लिए जो रिज़र्वेशन था, वह पुनः उसी तरीके से लागू किया जाए जिससे दलित, पीड़ित, शोषित वर्ग को लाभ मिल सके। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और अपने साथियों से भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि शोषित और दलित समाज के हित के लिए आप इसको सपोर्ट करें और सरकार से चाहता हूं कि आप आदेश जारी करें, जय हिन्द।

The question was proposed.

श्रीमती जमना देवी बारुपाल (राजस्थान) : उपसभापति महोदय, मैं राजस्थान की हूं और दलितों का मसला आ गया है, इसलिए इनका समर्थन करते हुए दो बातें मैं भी इसमें जोड़ना चाहती हूं, कृपा करके एक मिनट का समय मुझे दें।

महोदय, मीणा जी का मैं धन्यवाद करती हूं कि इन्होंने बहुत ही विस्तार से आंकड़ों के माध्यम से दलितों और जनजाति के लोगों का मुद्दा यहां उठाया। यह इनको उठाना भी चाहिए क्योंकि जिस संविधान के तहत ये यहां आकर बैठे हैं, अगर पिछड़े तबके की बात ये लोग नहीं करेंगे, तो मैं सोचती हूं कि यहां इनका आना भी, इनका ही नहीं, मेरा भी, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि पिछड़े तबके के लोग हमें बहुत कोसते हैं। अभी मैं बीकानेर गई थी, वहां हज़ारों विद्यार्थियों और अध्यापकों ने मेरे घर के आगे नारे लगाए कि क्या हुआ कि तुम राज्य सभा की सदस्य बन गईं और तुमने कोठी बना ली, कार ले ली ! मैंने कहा कि पच्चीस साल पिताजी रहे थे, मेरा घर तो उन्हीं का बनाया हुआ है, अगर एक इंच ज़मीन तुम मेरी बता दो, तो मैं इस घर से निकल जाऊंगी, इस्तीफा दे दूंगी। इस प्रकार से लोग हमें बहुत नोचते हैं। जैसे मरे हुए पशुओं को कौए नोचते हैं, वैसे ही जन-प्रतिनिधियों को लोग नोचते हैं, इसलिए हमें मजबूर होकर अपनी बात को व्यक्त करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है, जैसा कि हमारे भाई मीणा जी ने बताया कि लोक सेवा आयोग में दलित वर्ग के नगण्य प्रतिनिधित्व को देखकर हमें बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। ये ऐसा हमारे साथ क्यों करते हैं?

महोदय, मैंने एक बार नहीं, दो-तीन बार पहले भी इसी मंच से कहा कि 57 वर्षों के बाद भी भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान की प्रक्रिया अधूरी है और आरक्षण नीति को लागू नहीं किया जा रहा है। इसकी हमें बहुत ही पीड़ा है। आई.ए.एस., आई.पी.एस. और आई.आर.एस. अधिकारियों को, जो बन भी गए हैं, उनको अच्छी जगहें नहीं दी जातीं। मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगी कि ये जो आई.ए.एस., आई.पी.एस. और आई.आर.एस. अधिकारी हैं, क्या वे अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं, तो आप हमें लिखित में दीजिए ताकि हम उनको कहें कि तुम लोग योग्य नहीं हो, तुम्हारी योग्यता दूसरों के आगे नगण्य है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उनको सेंटर में अच्छी जगहें देनी चाहिए। मैंने कई जगह यहां देखा कि हमारे राजस्थान के कई आई.ए.एस. ऑफिसर यहां अच्छी-अच्छी जगहों पर लाकर बैठा दिए गए हैं, जबकि हमारे दलित वर्ग के लोग, जो बहुत अच्छे लोग हैं, राज्य सरकारें चलाते हैं,

उनको मौका नहीं दिया जाता। तो इसमें क्या आरक्षण नीति नहीं होती? क्यों नहीं उन अधिकारियों को यहां अच्छी जगहों पर ला-लाकर appointment दिया जाता है, इस संबंध में बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। और 75 हजार पद विश्वविद्यालयों में खाली पड़े हैं, 10 हजार पद कॉलेजों में खाली पड़े हैं। रेलवे में अनगिनत पद खाली पड़े हैं, तथा पुलिस में तो कोई लेता ही नहीं है, शिक्षा क्षेत्र में लेते नहीं हैं अगर लेते भी हैं तो दूसरे लोग हाय-हल्ला करके स्टे ले आते हैं कि इन लोगों को क्यों लेते हो, हमें क्यो नहीं लेते हो। वास्तव में यह नीति डा. भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान पर लागू नहीं होती है। हम दिखाने के लिए चाहे कितना ही उपदेश दें, चाहे कितने ही अच्छे आदर्श की बातें करें, लेकिन भूखे आदमी को भर-पेट थाली नहीं मिलती है, भोजन नही मिलता है। इसलिए वह न तो पदों को देखकर राजी होता है और न ही संविधान को देखकर राजी होता है, क्योंकि 'भूखे भजन न होए गोपाला।' इस तरह से आदमी भूखा रह-रह कर कितने दिन तक किसी का गुणगान करेगा? मै समझती हूं कि मैडम ने और हमारे प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी ने भी साझा प्रोग्राम बनाकर एक अच्छा काम किया है। मैं कांग्रेस पार्टी की सराहना आज से नहीं करती हूं, बल्कि सन् 1930 से, बचपन में जब से मैंने अपने पिताजी की अंगुली पकड़ी थी, तब से करती हूं। जब हम देश को आजाद कराना चाहते थे, तब पंडित जवाहर लाल नेहरू जैसे, राजेन्द्र बाबू जैसे, पटेल जी जैसे ईमानदार लोग पार्टी में थे। उन्होंने इस देश में पार्टी की जो इमेज बनाई, पार्टी को कायम रखा, यह ऐसे लोगों की पार्टी है। मैं इस पार्टी को बदनाम नहीं करना चाहती हूं, लेकिन मैडम तो हर घर में नहीं जाएगी, मैडम हर एक आदमी को नहीं कहेगी, मैडम किस-किस आदमी को इंटरव्यू देने के लिए बुलाएगी और कहां तक मनमोहन सिंह जी उनसे पूछेंगे कि आपने कुछ किया है या नहीं किया है। इसलिए मैं इस सम्मानित सदन में यह कहना चाहती हूं कि इस बैकलॉग को तो पूरा करना ही चाहिए। अगर हमारी सरकार में बैकलॉग पूरा हो जाता है तो इसका सारा श्रेय हमारी पार्टी को जाएगा, हमारी सरकार को जाएगा। हम तो उस स्थान से आते हैं, जहां पर हम लोगों को नोचते हैं, इसलिए हमको बोलना ही पड़ता है। महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. फागुनी राम (बिहार) : माननीय उपसभापति महोदय, हम आपके बड़े आभारी हैं कि आपने हमें शैडयूल्ड ट्राइब्स के बिल पर, बोलने का मौका दिया। भारत के आजाद होने के समय यह सोचा गया कि समाज के सभी वर्गों को उन्नत होना चाहिए। समाज में जो लोग खासकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से, कमजोर थे, उनको प्रिविलेजिज देने की बात की गई और उसी क्रम में संविधान में आरक्षण की व्यवस्था हुई। देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इसको क्रियान्वयन का रूप देकर इसको संभाला और इसको लागू किया। आरक्षण होना चाहिए और जरूर होना चाहिए, यह सभी लोग चाहते हैं। कठिनाइयां कहां है, क्यों लागू नहीं हो पाता है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि आखिर क्या स्थिति है? आज विद्यालयों में, युनिवर्सिटीज में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, नामांकन में भी आरक्षण है और वहां लोग उनके अनुकूल, आरक्षण की संख्या में नामांकन पाते हैं। जहां तक भर्ती की बात है, वहां पर यह किया जाता है कि कुछ बोनस प्वाईंट दे दिए जाते हैं। अगर दूसरे के क्वालिफाइंग मार्क्स 60 हैं तो इनके लिए 55 या 50 कर दिए जाते हैं। फिर वही मेरिट बनाकर सब कापी देखी जाती है। उसमें होता यह है कि अगर उसमें अनुसूचित जाति के लोग या अनुसूचित जन जाति के लोग, आरक्षित पदों के अनुकूल संख्या में नहीं आते तो आरक्षित पद खाली रह जाते हैं, इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि उनको बोनस प्वाइंट दें या नहीं दें, छूट दें

4.00 P.M.

या न दे, यह अपनी जगह पर है, लेकिन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों की आरक्षित पोस्टों पर उनकी ही बहाली हो, यह प्रमुख बात है। मुझे लगता है कि उनके लिए एक अलग सूची बनाई जानी चाहिए, उनके लिए एक अलग मेरिट लिस्ट बनाई जानी चाहिए। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए अलग और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अलग मेरिट बनाई जानी चाहिए ताकि जितना आरक्षण का कोटा है, अगर 25 आरक्षित पद शेड्यूल्ड कास्ट के लिए हैं और 14 आरक्षित पद शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हैं तो जो मेरिट लिस्ट बने, उसमें से एक से लेकर जो मेरिटोरियस हैं, उनको उस संख्या में ले लिया जाए। मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था से पोस्ट बराबर भरती जाएंगी और बैक लॉग में भी कमी आएगी। जब हम लोग मीटिंग में जाते हैं, तो चर्चा करते हैं कि लोग कहते हैं कि फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों में भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग नहीं आते हैं। इस आरक्षण का दो आधारों पर प्रतिशत है। शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स का हिंदुस्तान की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर आरक्षण है। 15 प्रतिशत शेड्यूल्ड कास्ट और 7 1/2 प्रतिशत शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए राष्ट्रीय आधार पर आरक्षण है, दूसरे हरेक स्टेट, हरेक टेरेटरी या जो राजधानी क्षेत्र हैं, उसमें उनका जो अनुपात है, उसके अनुपात में उनका प्रतिशत आता है। वहां कहीं-कहीं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ज्यादा होता है। जैसे बिहार में शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम हैं, वहां शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षण ज्यादा है, लेकिन झारखंड में शेड्यूल्ड ट्राइब्स ज्यादा हैं, तो वहां शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षण ज्यादा है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कम है। इसलिए आरक्षण का एक प्रतिशत तो राष्ट्रीय आधार पर है और दूसरा राज्यीय आधार या समूह के आधार पर है। फिर भी एक नीति है, जिसके आधार पर आरक्षण हो। अब यह बात भी सही है कि आज किसी भी पोस्ट पर उनके प्रतिशत में आरक्षण नहीं है। हमें यह बताया जाता है, लोग कहते हैं कि ये मेरिट, योग्यता या कंपीटीशन में नहीं आते हैं। जब ये कंपीटीशन में परीक्षा देते हैं, तो जो मेट्रिक पास है, वे मेट्रिक वाली परीक्षा देते हैं, लेकिन मेट्रिक पास वाली परीक्षा बी.ए., एम.ए. वाले भी देते हैं। अगर मेट्रिक पास वाली पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मेट्रिक है और उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एम.ए. छंट जाते हैं तो हम लोगों को थोड़ा आश्चर्य होता है कि एम.ए. पास करके भी मेट्रिक योग्यता के पोस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब या शेड्यूल्ट कास्ट हासिल नहीं कर सका, यह विधारणीय बात है और इस पर विचार किया जाना चाहिए। हम यह कहना चाहते हैं कि आरक्षण एक विशेष सुविधा है और उस सुविधा से भी अगर शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब को वंचित रखा जाएगा तो फिर समाज के लोग अपनी आर्थिक स्थिति में आगे कैसे बढ़ेंगे। जो लोग पहले से कुछ आगे भी बढ़े हुए हैं, हम देखते हैं कि केवल उन्हीं के परिवार के बच्चे आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो लोग रिमोट एरिया में रहते हैं, जो गरीब हैं, जो खेती का काम करते हैं, उत्पादन का काम करते हैं, खेत मजदूर का काम करते हैं या और कोई छोटा-मोटा काम करते हैं उन लोगों के बच्चे उन्नत नहीं हो पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। अगर वे पढ़ नहीं पाएंगे तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है या नहीं है, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यह सवाल उठता है कि उन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए? हमारी यू.पी.ए. सरकार ने शिक्षा मिशन में कहा है कि चौदह साल तक के बच्चों को हम जरूर पढ़ाएंगे, यह अनिवार्य शिक्षा है। हम लोग यह मानते हैं कि वे पढ़ जाएंगे, लेकिन हम लोगों को कुछ शंका होती है कि गरीब बच्चे, जो अपनी रोजी और और रोजगार के लिए बनिहारी का काम करते हैं, बिहार के बच्चे राजस्थान, पंजाब में काम करते हैं, राजस्थान के बच्चे, बिहार के बच्चे, हरियाणा में काम करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं या जो बड़े-बड़े शहर हैं, उनकी राजधानियों में काम करते हैं, वे बच्चे कम हैं,

छोटे हैं, तब इन्हें कौन पढ़ाएगा? ये बच्चे दरी, कालीन या चूड़ी बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं, जहां का वातावरण उनके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होता, वहां पर ये बच्चे काम करते हैं। ये बच्चे, जो काम करते हैं, उनसे समय से ज्यादा काम लिया जाता है और मजदूरी कम दी जाती है। कारखानों को चलाने वाले लोग भी बच्चों को रखना ज्यादा पसंद करते हैं। ये बच्चे जो पालिश करने वाले या साधारण भीख मांगने वाले लोग हैं, ये आखिर कैसे पढ़ पाएंगे? यह जो समस्या है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। क्या उनके लिए वहां अनिवार्य किया जाएगा कि जिनके पास लड़के हैं, यह उनकी जवाबदेही हो कि वे उन्हें पढ़ाएं। ऐसा संभव नहीं लगता है कि अगर किसी के यहां डोमेस्टिक सर्वेंट है, वह अगर शेडयूल्ड कास्ट या शेडयूल्ड ट्राइब का है, तो मालिक कहे कि नहीं, मेरा काम छोड़कर तुम पढ़ लो, यह बात समझ में नहीं आती है कि ऐसा हो सकेगा। यह विचारणीय बात है कि उनकी शिक्षा कैसे होगी, कहां से होगी? अगर वे पढ़ेंगे नहीं, तो फिर आरक्षण का क्या होगा? यह बात सही है कि शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की हुई है, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होता और कांग्रेस का राज़ नहीं होता, आरक्षण नहीं होता, तो शायद हम लोग भी पढ़कर यहां तक नहीं पहुंच पाते और इतनी डिग्रियां नहीं ले पाते। हम कांग्रेस सरकार के आभारी है, वर्तमान सरकार के आभारी हैं, यू.पी.ए. की जो अध्यक्षा हैं, उनके हम आभारी हैं, उनके मन में इन लोगों के प्रति बड़ा ख्याल है कि समाज के कमजोर वर्ग के लोग आगे आएं और मुख्य धारा में आगे बढ़ें। आरक्षण इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, उसी की शैक्षणिक स्थिति भी अच्छी होती है और सामाजिक स्थिति भी अच्छी होती है। एक बार मैं कहीं गया था, वहां शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब के बड़े-बड़े अफसर थे, वहां मीटिंग हो रही थी, हम स्टेट का नाम नहीं लेंगे, वह किसी प्रतिष्ठित आदमी का ही स्टेट था, मैंने कहा कि हम लोग अपना काम स्वयं नहीं करते, हम लोग जब पढ़कर घर से बाहर निकलते हैं, तो हम लोग ही बाबू बन जाते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि हम अगर गांव में जाएं, तो हमारे गांव के लोग हमें बाबू कहें, यह ख्याल गलत है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम अगर आगे बढ़कर अपने गांव के ही चार आदमियों को आगे नहीं बढ़ा सके, अपने परियार के लोगों को ही आगे नहीं बढ़ा सके, तो फिर और कौन बढ़ाएगा? इसके लिए हमारे जैसे लोग या जो लोग आगे बढ़े हैं, उनकी जवाबदेही है कि वे वहां जाकर उनको भी आगे बढ़ाएं। हमने तो अपनी लाइफ में ऐसा किया कि जब हम पढ़ते थे, तो रात्रि पाठशाला खोलकर, खलिहान में ढिबरी की रोशनी में हमने पचासों आदमियों को साक्षर बनाया, उनमें से आजकल कई बी.ए. भी हो गए हैं।

उपसभापति महोदय, हमारा सब लोगों को शिक्षित करने का मिशन है, लेकिन कोई आदमी किसी को पकड़कर तो शिक्षित नहीं कर सकता है। शिक्षा तो भावना की बात है, शिक्षा तो जागरुकता की बात है, शिक्षा तो उसके मन की बात है, जो पढ़ना चाहेगा, वही पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ना चाहेगा, नहीं पढ़ेगा। इसलिए यह जरूरी है कि शिक्षा के बारे में जागरुकता लानी चाहिए कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं। मैंने एक बार कहा था कि गरीबों के बच्चे asset हो जाते हैं, वे गाय चराने जाते हैं, फिर दूसरे के यहां खाते है, गाय चराने का जो पैसा मिलता है, उससे उनका परिवार चलता है। उनके आगे बढ़ने में यह गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है।

उपसभापति महोदय, सरकार ने कहा है कि 100 दिन का काम दिया जाएगा। सभी जानते हैं कि गरीब आदमी की मजदूरी ही उसकी कमाई है। उसकी प्रतिदिन की मजदूरी ही उसकी कमाई है, उसके जीवन का आधार है, वह उसकी जिंदगी है। जिस दिन वह कमाता है,

उस दिन वह खाता है, जिस दिन वह नहीं कमाता है, उस दिन वह नहीं खा पाता है। इसलिए हम चाहेंगे कि यह जो 100 दिन काम देने की बात है, इसको और आगे बढ़ाया जाए ताकि लोग अधिक से अधिक दिनों तक मजदूरी कर सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिल सके ताकि वे अपनी जीविका अर्जित करें और अपने बच्चों को पढ़ाएं।

उपसभापति महोदय, आरक्षण जरूरी है। सब लोग इस बात को जानते हैं, संविधान निर्माताओं ने भी यह सोचा, कांग्रेस सरकार ने सोचा, मैडम इंदिरा गांधी ने भी 20 सूत्री कार्यक्रम बनाकर इसको लागू किया, माननीय राजीव गांधी ने उसको और सक्रिय किया ताकि उसे और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके, बाद में जब दूसरी पार्टी की सरकार आई, तो इस दिशा में कोई खास काम नहीं हुआ, अब वह कार्यक्रम फिर शुरू हो गया है। शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब, दोनों ही priviliged class हैं। कुछ स्टेट्स में शेडयूल्ड ट्राइब्स की प्रमुखता है, कुछ स्टेट्स में इनकी हालत अच्छी है और कुछ स्टेट्स में खराब है। उसी तरह से शेडयूल्ड कास्ट में भी है, कुछ स्टेटों में इनकी स्थिति अच्छी है और कुछ स्टेटों में खराब है। जिन स्टेटों में इनकी हालत खराब है, उन स्टेटों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक बार मैं दक्षिण के इलाके में गया था, वहाँ शेडयूल्ड कास्ट एंड शेडयूल्ड ट्राइब की, सफाई मजदूरों की पाँच पोस्ट्स खाली थीं। वे 10 साल से खाली थीं। हमने यह कहा कि अगर सफाई करने वाले भी, कमोड साफ करने वाले भी, झाड़ू देने वाले भी, पोछा लगाने वाले भी अगर शेडयूल्ड कास्ट के लोग नही मिल पाते हैं, शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोग नहीं मिल पाते हैं, तो यह हास्यास्पद जैसा लगता है। तब लगता है कि जो बहाल करने वाले लोग हैं, उनमें कुछ उदारता होनी चाहिए, ख्याल होना चाहिए।

एक बात यह है कि क्लास वन के पोस्ट पर रिजर्वेशन नहीं है। प्रोमोशन क्लास वन के पोस्ट पर नहीं है। एक स्केल है, उससे आगे प्रोमोशन में आरक्षण रूक जाता है। हम समझते हैं कि उसे भी खोला जाना चाहिए। जैसे क्लास डी से सी में जाते हैं, सी से बी में जाते हैं, उसी तरह से बी से क्लास ए में जाने में भी हम समझते हैं कि रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि लोग इसमें भी क्लास वन बन सकें और आरक्षण के आधार पर बन सकें।

दूसरी बात यह है कि आरक्षण में जो लोग आते हैं, वे लोग जनरल में नहीं लिए जाते हैं, उनकी गणना शेडयूल्ड कास्ट में होती है। हम समझते हैं कि जो जनरल मे कम्पीट करते हों, उनकी बहाली जनरल में होनी चाहिए और जो जनरल में कम्पीट नहीं करते हो, जो प्रिविलेज्ड हों, उनकी शेडयूल्ड कास्ट/शेडयूल्ड ट्राइब में बहाली की जानी चाहिए, क्योंकि वह ऐसे भी नहीं भर रहा है, तो वैसे भी नहीं भरेगा। उसको गर्व होगा कि हम जनरल मे [illegible] किया तो हम जनरल मे आए, हमने कोई आरक्षण के आधार पर नहीं लिया, जनरल के आधार पर हमने अपना पद लिया है। ऐसा करने से उनका मोरल थोड़ा अच्छा होगा, उनके काम करने का जो मनोबल होगा, वह अच्छा होगा।

उसी तरह से हम यह कहना चाहते हैं कि शुरू से आखिरी तक आरक्षण पद वाले क्यों नहीं मिलते, आखिर यह बैकलॉग क्यों है? क्योंकि हम शुरू से बहाल नहीं करते। अगर हम चपरासी में बहाल नहीं करेंगे, क्लास डी में अगर हमारा कोटा पूरा नहीं होगा और जब उससे प्रोमोशन होकर हम सी मे जाएँगे, तो जब डी मे बहाली नहीं ली है तो सी मं कैसे प्रोमोशन होगा, कहाँ से आएगा? जब सी में शेडयूल्ड कास्ट/शेडयूल्ड ट्राइब के हमारे आदमी नही रहेंगे

तो सी से जब हम बी में जाने लगेंगे, तो हम किसका प्रोमोशन करेंगे? इसलिए जरूरी है कि इनिशियल स्टेज पर जितनी बहालियाँ होती हैं, उनमें इनका आरक्षण पूरा किया जाए और जैसा कि मैंने कहा कि उनके मेरिट लिस्ट से जितना आरक्षण का कोटा है, वे ले लिए जाएँ। अगर ऐसा नहीं हो सकेगा तो बैकलॉग रह जाएगा। एक बार हमारे राजीव गाँधी जी ने अभियान चला कर बैकलॉग पूरा किया था, जिसमें कुछ लोगों को कष्ट हुआ कि केवल शेडयूल्ड कास्ट/शेडयूल्ड ट्राइब की बहाली हो रही है। लेकिन उन्होंने हिम्मत करके यह किया और लोगों का उपकार हुआ। फिर यह बैकलॉग की बात बनी रह जाएगी और यह बैकलॉग कभी पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि इनिशियल स्टेज पर एक बार बैकलॉग खत्म कर दिया जाए और बैकलॉग खत्म करने के बाद शेडयूल्ड ट्राइब्स का भी हर क्षेत्र में चूँकि नेशनल रिजर्वेशन है, इसमें किसी प्रान्त का, किसी टेरिटरी का सवाल नहीं आता है, यह आरक्षण नेशनल आरक्षण है। इसमें सभी शेडयूल्ड कास्ट/शेडयूल्ड ट्राइब का या जिनका भी रिजर्वेशन है, उनको बहाल किया जाना चाहिए। महोदय, हम समझते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो इनका उपकार हो सकेगा, क्योंकि देश में एक कानून है, लेकिन उससे अधिक है मानवता। हम समझते हैं कि जो बहाल करने वाले लोग हैं, वे अगर कानून से ऊपर उठ कर उनको मानवता की दृष्टि से देखें तो उनका ज्यादा उपकार हो सकेगा, ज्यादा भाईचारा हो सकेगा और बहाल होने वाले लोग यह समझेंगे कि हमें अपनेपन का, हमें सान्निध्य का, हमें सहचर्य का, हमें बड़प्पन का, आशीर्वाद मिला। जो यह कहते हैं कि हम शेडयूल्ड कास्ट से हैं तो हमारा मनोबल टूट जाता है, उनका मनोबल टूटेगा नहीं और जुटा रहेगा। मैं समझता हूँ कि इसमें सरकार, मंत्री जी ख्याल करेंगे कि शेडयूल्ड ट्राइब की ही बहाली सभी जगह हो और रिजर्व्ड पोस्ट की बहाली सभी जगह हो और बैकलॉग को एक बार पूरा कर दिया जाए और फिर नीचे से जितनी बहालियाँ हों, वे समतुल्य होती जाएँ, ताकि बाद में बैकलॉग का सवाल नहीं उठे। लोग जो उनके पोस्ट, उनके अधिकार से वंचित रह जाते हैं, वे न रह पाएँ। जैसे अगर 20 पोस्ट की बहाली है तो 5 की ही बहाली होती है। इस तरह 15 लोग शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के जो बहाल हो सकते हैं, नहीं होते हैं। ये 15 लोग पीछे रह जाते हैं और कहीं-कहीं सैकड़ों लोग पीछे रह जाते हैं। तो मैं यह आरक्षण का कोटा बहाल करने वालों से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप इसे मानवता की दृष्टि से देखें। उन कमजोर वर्ग के लोगों की दृष्टि से देखें तो ज्यादा उचित होगा।

महोदय, कहा जाता है कि दरिद्र में नारायण रहते हैं। ये दरिद्र नारायण हैं। आज भी लोग कहते हैं कि गरीबों को भोजन कराओ क्योंकि उनमें भगवान का रूप होता है। उससे बड़ा पुण्य मिलेगा। इसी तरह आदिवासी को बहाल करने पर, हरिजन को बहाल करने पर पुण्य मिलेगा। इन लोगों की बहाली के बारे में मानवता की दृष्टि से सोचें। फिर यह काम ज्यादा आसानी से हो सकेगा।

महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया। मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Jesudasu Seelam, would you like to speak? ...(*Interruptions*)... Your name is not there, but would you like to speak?

SHRI JESUDASU SEELAM (Andhra Pradesh): Sir, I will speak for a few minutes. Sir, I stand to support the Resolution brought out by hon. Shri Moolchand Meenaji. But, Sir, I would like to express certain points.

The first point is this. For the last 50 years there has been a lot of talk about reservation. But why this reservation is not being given? Mr. Meenaji has, specifically, brought this Resolution to highlight the plight of the Scheduled Tribe persons living in the National Capital Territory of Delhi who have been extended the benefits under the various employment opportunities. It is about extending the benefit of reservation for the Scheduled Tribes living in Delhi. He has also quoted the former Prime Minister assuring in the House that whatever has been done in the past shall continue to be available to the members of the Scheduled Tribe community now also. Sir, he has also quoted the recent Supreme Court judgement dated 11th February 2005 in the Civil Appeal No. 67 of 1998. The hon. Supreme Court has made a clear distinction between the provisions of article 16(4) and the Presidential orders under articles 341 and 342. Articles 341 and 342 explain how a particular community can be included or excluded from the list of Scheduled Tribes and Scheduled Castes in a particular State. The other provision is that the Parliament by an enactment can include or exclude a particular community or caste or sub-caste as member in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Article 16 (4) (a) deals with a specific enabling provision conferring a discretionary power on the State to make reservation in the matter of appointment in favour of certain backward classes. This backward class does not mean the OBCs. According to the Constitution, backward class means the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. So, the Supreme Court in its judgement said that the SC/STs living in the NCT of Delhi can avail the provisions provided 'he' or 'she' is included in the list of Scheduled Castes in their native States. This must clarify the ambiguity or the difficulty expressed by Shri Meenaji. My only request is that this DoPT should implement this decision in letter and spirit.

Sir, I would like to say a word about the functioning of the DoPT because reservations and related matters are looked after by the Department of Personnel and Training. Even after amendment to article 16(4) by the Parliament, -- they considered all the difficulties arising out of the four G.Os issued and they have amended the Constitution -- unfortunately, the DoPT has not yet undone the damage caused by its own G.Os. So this is important. Sir, for reservations, we have no dearth of

provisions in the Constitution. But what we have been, time and again, asking is the attitude of the persons who are implementing the reservation. We are very happy that an attempt is being made to bring out a comprehensive law on reservation enlisting all the existing provisions. I only appeal to the Members of the House that it should not be a simple codification of the existing law, whose provisions, as I was mentioning earlier, have been challenged in the court because there are certain difficulties. The amendment also brings out certain remedies, but they are still to be taken care of by the DOPT. So, if all those provisions are included in the name of codification, that is not going to help the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. So, we do not need a simple codification of existing executive orders, but we need a comprehensive law removing those disparities and difficulties which are going to harm the legitimate interests of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Sir, this specific Resolution has been brought out by Meenaji, as I was mentioning earlier, to remove the disability caused by the action of the Delhi Government that the reservation facility is not available to Scheduled Tribes. In the Supreme Court judgement, dated 11th February, 2005, Sir, it has been very clearly mentioned and clarified that the members of the Scheduled Tribes will not forgo the right of reservation as far as employment opportunities, educational facilities are concerned by virtue of this judgement, because article 16 (4) will not be covered by the Presidential order under articles 341 and 342. Sir, I only request the DoPT to implement this order so that the members of Scheduled Tribes, who have been deprived economically, socially, as has been explained in detail by Meenaji, are given their legitimate shares.

Lastly, I would like to once again point out that as regards the Scheduled Caste and Scheduled Tribes, things have changed. After fifty years of development administration coupled with the educational provisions and general awareness, the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, especially the young aspirants, have changed in their perception. There is a change in their aspirations also. Just like the general community has undergone a rapid social and economic transformation, the *dalits*, the tribals, *adivasi* community have also undergone tremendous transformation. Maybe, the pace is a little slow in respect of the backward classes. But, I would suggest, Sir, we have to look at their development, their advancement, their empowerment in a little major perspective, larger perspective, than going into the loopholes of law to harm them. Sir, the implementing machinery needs to be sensitised on

how they should take advantage of the provisions rather than acting in adverse sense, where there is an opportunity. That is why, Sir, we have been requesting the Committee to include a punitive clause so that whoever wilfully damages or causes inconvenience, or comes in the way of legitimate empowerment of *dalits* or the Scheduled Tribes is provided with deterrent punishment. That is one. Secondly, we also want a reservation *adalat* or a reservation tribunal to oversee the lapses. It should be like a special agency which will look into the grievances of people who are aggrieved or who have been subjected to discrimination, even while implementing the reservation provisions.

Sir, I would like to say that the DoPT needs to be sensitised of the reasons, or, the basis of this reservation. As I was submitting yesterday, we do not want these reservations to continue in this country forever, provided we are very sincere, truthful and meaningful in our real actions to remove this disability.

Thirdly, Sir, we are adding so many communities to this basket of reservation communities without increasing the cake. That is another issue, which could be tackled at the right time. There is a need to enhance the reservation percentage. Without doing that, if you keep on adding the communities, who do not have the so-called disability which forms the basis for this provision of reservation, there is going to be unrest among the deserving *Dalits* and Scheduled Tribes.

This is all that I would like to submit. If the Supreme Court judgement is given a meaningful and immediate implementation, I think the tribal community living in Delhi, coming from all parts of the country, would get the benefit. Thank you, Sir.

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS AND MINISTER OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (SHRI P.R. KYNDIAH): Mr. Deputy Chairman Sir, at the outset, I would like to thank the Mover of the Resolution and the hon. Members of Parliament, including a lady Member, who have participated in this discussion. The submissions and suggestions have been very valuable and I have taken note of them.

I must, at the outset, make a strong statement that the Resolution is bearing down on reservation. This is the key issue. But, at the same time, I am happy that other members belonging to the Backward Classes, the Scheduled Castes, etc. have been brought into the picture.

I would like to deal first with a matter, which I feel is important, that we remind ourselves that this Government, the UPA Government, is committed to implement the National Common Minimum Programme. Some of the issues raised in this House have been mentioned in the National Common Minimum Programme.

I shall start first with reservation, which is the key issue today, both the text of the Resolution and the content of what the hon. Members have stated. The UPA Government is being sensitive to the issue of affirmative action including reservations in the private sector. It will immediately initiate a national dialogue with all political parties, industry, and other organisations to see how best the private sector can fulfil the aspirations of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe youth. We have a Cabinet Sub-Committee and we have had a number of interactions with the political parties. In particular, I must mention that we have had a number of discussions with the private sector. We are yet to come to a conclusion. The discussions and views of the private sector, which are mixed, have given us hope. I believe, you will be able to get something concrete in the very near future. We have also made a special mention in the UPA's National Common Minimum Programme about the fate of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. We are committed that whatever be the plight of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, it is our concern. We are sensitive to it whether it is the case of forest dwelling tribals, which I mentioned the other day in this House, or it is the case of Scheduled Castes which have been placed in an uncomfortable position in certain areas of the country. Whatever happened to these communities, backward communities, we are there for protection and corrective steps. I must make a mention also that the UPA Government will immediately review the overall strategy and programmes for the development of tribal areas and will find out certain loopholes to work out more viable livelihood strategies. In addition, more effective system of relief and rehabilitation would be put in place for tribals and other groups displaced by the development projects. Tribal people alienated from land will be rehabilitated. This is our commitment in the Charter of the UPA Government. Now, without going into the details, I would like to take into confidence this House on a matter which I feel is important so that we can understand correctly the position. Reservation is a charter which is not only contained in the Constitution, but it is also a charter for us as a Government, and we will do whatever is necessary in order to achieve the goal. Therefore, it is an endeavour to this resolution. There are two thrust areas. Well, I am happy that hon. Member moved this resolution. Shri

Moolchand Meena has made a special mention in his resolution about these two thrust areas. First, this House urges upon the Government to ensure through legislative or administrative measures that Scheduled Tribes living in the NCT of Delhi be given benefits of reservation in employment and educational institutions. Secondly, the Scheduled Tribes of one State or Union Territory be treated as Scheduled Tribes for the entire country. On this, we must accept the reality that the Scheduled Tribe is not one single mass of people. The Scheduled Tribes are diverse in status, in cultural advancement and in educational advancement. We have different tribal groups. We have some very advanced tribal communities also. We have those who are at the minimal level. So, we cannot bracket them together. If today we decide as mentioned by the hon. Member in the resolution, then we will lead to a standardised level of development which perhaps requires us to consider that all Scheduled Tribes are not at the same level of development. It was because of this that the framers of the Constitution took a conscious decision, if you go into the debates of the Constituent Assembly, that the list of the Scheduled Tribes should be State and UT specific. This is one part which we must take into consideration. It means, in effect, that the socially and other disadvantaged Scheduled Tribes in a State may avail the benefit of this reservation measure, which we are talking about. Now, look at this, if today, we allow the Scheduled Tribes of some advanced communities to settle down in a place where we have primitive type of groups -- We have 75 tribal groups in the country -- then, there will be a problem. The more advanced tribal communities will be able to take whole of their jobs and their other privileges. So, this is a problem that, I thought, is important and that we understand. The framers of the Constitution had gone into this aspect also. Therefore, at this point of time, I will say it very bluntly that it won't be appropriate, unless we so decide otherwise, to extend the benefits of the reservation of Scheduled Tribe, from one State to the other State. That would be difficult. As on today, the country cannot accept this menace of putting the Scheduled Tribes of that State in a disadvantageous position. Now, this is strengthened, or rather reinforced, by the Constitution. Let us go to the details of Article 342 of the Constitution, which deals with the Scheduled Tribes. It says, "The President may with respect to any State or Union territory, and where it is a State, after consultation with the Governor thereof, by public notification, specify the tribes or tribal communities or part of or groups within tribes or tribal communities which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Tribes in relation to that State, or Union territory, as the case

may be." So, we have to go by the Lists approved by the State Government or Union Territory, as in the case of Delhi. That is not a rule as of now. I will be as brief as possible, but at the same time, I must make a mention that this matter needs a wider consultation, a wider discussion. So far as this provision is concerned, that Scheduled Tribe of one State or one Union Territory be treated as Scheduled Tribe for the entire country, I am not talking of this or that. I know of certain States also, like Assam or West Bengal or Orissa, where the tribals, who were living in Jharkhand or Orissa, are treated also as tribals in West Bengal and Tripura. I know of that. I am not unaware of that. That is because of the initiative of the State Government.

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND THE MINISTER OF STEEL (SHRI RAM VILAS PASWAN): But, if that Scheduled Caste or Scheduled Tribe comes to Delhi, why he could not get...

SHRI P.R. KYNDIAH: Yes, definitely, it's all right. No, Delhi is different. I am not talking about Delhi.

SHRI RAM VILAS PASWAN: Not only Delhi, that particular Scheduled Caste or Scheduled Tribe goes to any State...

SHRI P.R. KYNDIAH: Yes, that is the point I mentioned. As of now, it has to be with the consent of the State Government. The State Government must say that these tribes should be approved. We cannot act just like that. That is the point. Now...

SHRI MOOLCHAND MEENA: Union Territory also.

SHRI P.R. KYNDIAH: Union Territory is different. I am sensitive; I am sympathetic to the cause of the Scheduled Castes in Delhi. Because it is true that in the case of Delhi, its a different category altogether. On the 14th of October, I think, 1955, there was an executive order by the Ministry of Home Affairs. The circular specified that only in Delhi, an all-India pattern of 7.5 per cent reservation for the Scheduled Tribes would be followed. This was accepted and it has been going on. The question arose only after the National Capital Territory of Delhi was formed, and, the question was whether it will be applicable to the National Capital Territory of Delhi. That is the point. I am sensitive to that. After deliberations, the Ministry of Home Affairs issued a circular on the 27th August, 2003 extending the reservation of 7.5 per cent in jobs in NCT of Delhi. That also is a fact. It was this order of the Ministry of Home Affairs which was challenged in the

Court, and, the hon. High Court of Delhi has passed an order on 8.7.2004 that in the absence of a Presidential Notification declaring any Tribe to be a Scheduled Tribe in the Union Territory of Delhi, under Article 342 of the Constitution of India, no posts under the Government of NCT Delhi, Local Bodies or Statutory Authorities under the Government of NCT Delhi can be reserved. Today, we go by the Constitution. This is an important matter.

In any case, some Members participated in the discussion and raised the issue about the ruling given by the Supreme Court. In this matter I must tell you very frankly that I am yet to receive a copy of that ruling given by the Supreme Court. This is one point. Secondly, whatever action my Ministry will take will depend on the views given to me by the Law Ministry, and, that is important. We have an open mind. We don't have closed door meetings. I understand the problem. I have myself taken up this issue. I am not saying that I will not take up the issue. I have taken up the issue; I am a part of that but we will have to find a way. A way must be found, it can be found and it must be found. I think there is a hope. I don't say that there is no hope. The only thing is that we have to be a little more patient.

So, whatever it is, I would like to say that I am thankful to the Members for having raised many issues which we should consider, and, in fact, my colleague here, Shri P.M. Sayeed, knows also as to what are we doing about these matters. We are pursuing this matter and, as I said, we are pursuing this matter pro-actively. But I cannot make a statement now. I think you will appreciate that. Therefore, I don't want to take much of your time at this point; I have made some clarifications and I will send you the facts. May I request the Member to withdraw his Resolution?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Meena, are you withdrawing the Resolution?

श्री मूल चन्द मीणा : उपसभापति महोदय, माननीय मंत्री जी एश्यूरेंस कर रहे हैं। मैं कोर्ट के आदेश की कॉपी मंत्री जी को दिए देता हूं। लेकिन आपकी भावना है कि ट्राइबल्स का रिजर्वेशन दिल्ली में हो तो मैं आपकी भावना के अनुसार, आपके एश्यूरेंस के आधार पर आप पर विश्वास करते हुए कि आप दिल्ली में रिजर्वेशन जो एन0डी0ए0 की गवर्नमेंट की गलत भावना के कारण बन्द हो गया था तथा उनका जो उद्देश्य था कि ट्राइब्ल में फ्रेक्शन डालकर उनका अहित किया जाए, लेकिन अब ट्राइबल्स को यू0पी0ए0 की गवर्नमेंट से यह आशा है और श्रीमती सोनिया गांधी जी से विशेष आशा है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की दिल्ली के अंदर जो भी प्रोब्लम आई है वह सोल्व होगी और आपके आश्वासन के अनुसार कि आप दिल्ली में ट्राइबल्स का रिजर्वेशन

दिलाएंगे, इस बात को मानते हुए आपकी बात के आधार पर मैं अपने इस रिजोल्यूशन को वापिस लेता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Does he have the permission of the House to withdraw the Resolution?

The Resolution was, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Murli Manohar Joshi. Absent. Shri Manoj Bhattacharya.

Need to regulate and control the problem of spurious drug formulations in government hospitals

SHRI MANOJ BHATTACHARYA (West Bengal): Thank you, very much, Sir. It is good that the hon. Health Minister has also come. Sir, I beg to move:

> "That this House resolves that the Government should immediately initiate effective legislative and executive measures to stringently regulate and control the menacing problem of spurious, sub standard, sub therapeutic, irrational and obsolete drug formulations being marketed or sold by many pharmaceutical companies, individuals or clandestine agencies, the prices of medicines, adjuvants, diagnostic materials, etc. so that the common people of our country are not deprived of modern scientific treatment regimen, and scientifically make and demonstrate the list of essential drugs in all Government hospitals/clinics/dispensaries."

Sir, at the outset, I will say that it is a sad commentary on our part that we have not discussed such a subject in the past. I am here in Parliament for almost 5-6 years, I have never come across such an occasion when the House had discussed this very important subject which concerns the people of this country, which concerns the ailing people of this country, which concerns the distressed people of this country. It is very unfortunate on my part to note that in the House there are hardly 10 Members; not even 5 per cent of the Members are present over here. I feel that this subject, you will appreciate ...

SHRI JAIRAM RAMESH (Andhra Pradesh): Quality of the Members is important.